

फर्द अहकाम


रामदेव वगै०

बनाम

पार्वती देवी वगै०

तलय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं०२५ / २०२४

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.03.2024	अधिवक्ता श्री रमेश कुमावत सरस्वा द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर०टी०ए० बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.03.2024 को पेश हो।	
18/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/4/24 को पेश हो।	
8/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/5/24 को पेश हो।	
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/6/24 को पेश हो।	
1/6/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/7/24 को पेश हो।	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। व.दि.गण अनुपायित वादीगण के अधिवक्ता अनुपायित व.दि.गण एवं उनके अधिवक्ता को स्क-स्क का कार-कार सावाजे का वादीगण के अधिवक्ता नहीं आकर समय 3.45 PM को पेश हो। अतः व.दि.गण का वाद व.दि.गण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदालत में निलंबित हो गया। पत्रावली के मातल सुमांर दोन नंबर से एक दोकर दायित दोनर दो।	<p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर </p>